यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग** के माह **01/2015** से **10/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री ललित थपलियाल**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री **पवन कोठारी** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री शैलेन्द्र कुमार पांडेय,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **26.10.2018** से **30.10.2018** तक श्री **प्रभाकर दुबें**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.02.2015 से 11.02.2015 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमें माह 03/13 से 12/14 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **01/2015** से **10/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **रूद्रप्रयाग**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	2151.11	2133.20	139.78	139.78	-	17.91
2016-17	-	-	492.39	489.50	84.40	70.92	-	16.37
2017-18	-	-	479.32	397.58	82.29	77.99	-	86.04
2018-19 (10/18) तक	-	-	2936.92	1680.25	172.46	120.90	-	-

(ब) Autonomous Bodies की विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

पुलिस अधीक्षक
पुलिस उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
हेड कांस्टेबल

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि लेखापरीक्षा में कार्यालय, **पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/17, 03/18** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः1-</u> मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कम प्रशमन शुल्क वसूल किया जाना रू 93500/-।

उत्तराखण्ड शासन के परिवहन अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर 09/08/2016 के बाद परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटर अधिनियम 1988 की अधिनियम सं. 59 सन 1988 के अंतर्गत धारा 179(1) एवं 179(2) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि से रू 100.00 प्रति अपराध के स्थान पर प्रशमन शुल्क रू 500.00 प्रति अपराध वसूल किया जाना था।

जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग के प्रशमन शुल्क से संबन्धित अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त जनपद में स्थित पाँच पुलिस स्टेशनों में से तीन के अंतर्गत क्रमशः गुप्तकाशी में 37 अपराधों में रू 15600.00 के स्थान पर रू 7500.00, उखीमठ में 158 अपराधों में रू 79000.00 के स्थान पर रू 57200.00, एवं कोतावली रूद्रप्रयाग में कुल 299 अपराधों में रू 147000.00 के स्थान पर रू 83400.00 की वसूली की गयी थी जो तीनों पुलिस स्टेशनों की मिलाकर रू 241600.00 के स्थान पर रू 148100.00 ही वसूला गया था। इस प्रकार कुल रू 93500.00 के राजस्व की हानि हुई थी। दो पुलिस स्टेशनों सोनप्रयाग एवं अगस्त्यमुनि की सूचना अप्राप्त थी। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि उपलब्ध सूचना में वसूले गये प्रशमन शुल्क में निश्चित दर का ध्यान नहीं रखा गया था। इससे सूचना भी सही प्रतीत नहीं हो रही थी।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि अधिसूचना विलंब से प्राप्त होने के कारण यह स्थिति आयी। सूचना के सत्यता के बारे में विभाग के जाँच उपरांत अनुपालन आख्या प्रेषित करने की बात स्वीकार की। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि अधिसूचना भेजने की जिम्मेदारी विभाग की ही थी एवं सही सूचना लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराना भी लेखापरिक्षित कार्यालय का दायित्व है।

अतः निश्चित दर से प्रशमन शुल्क न वसूले जाने के कारण रू 93500 के राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तरः2- निर्माण कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित नही किया जाना रू 18.96 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के नियम 39 के अनुसार बिना निविदा आमंत्रित किए कार्यादेश पर आधारित निर्माण कार्य-अधिप्राप्ति-सक्षण प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रू 3.00 लाख तक लागत के कार्य करा सकता है। आपात स्थिति से बिना निविदा/कार्यादेश के माध्यम से रू 5.00 लाख तक के कार्य कराये जा सकते हैं, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए।

कार्यालय के लघु निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु, जिनकी कुल लागत रू 3 लाख से अधिक थी, तथा जिनकी प्रारंभ होने की तिथि भी एक ही थी, उनको टेंडर के माध्यम से न करके quotation आमंत्रित करके किया गया, जिसका विवरण संलग्न है। इस प्रकार निविदा प्रक्रिया न अपनाने जाने के कारण वास्तविक प्रतिस्पर्धा का लाभ विभाग को प्राप्त नहीं हो सका।

इसके अतिरिक्त अधिकतर कार्यों में कार्य से संबन्धित अनुबंध में दिनांक अंकित नहीं था, जिस कारण अनुबंध एवं कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यों की समाप्ति में विलंब भी पाया गया, तथा कार्य पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं था। मात्र तीन ठेकेदारों से कोटेशन के आधार पर कार्य का आबंटन मात्र एक औपचारिकता प्रतीत होती थी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार से insolvency certificate भी प्राप्त नहीं किया गया, और न ही third party द्वारा inspection करवाया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना कठिन था। कार्य की गुणवत्ता जांच संबंधी कोई प्राविधान नहीं था जिससे कार्य संतोषजनक था अथवा नहीं यह सुनिश्चित किया जाना कठिन था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्यों हेतु quotation की प्रक्रिया मुख्यालय द्वारा की गयी थी तथा अनियमितताओं के संबंध में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया नियम के वितरीत थी, तथा इकाई की कार्यों के प्रति शिथिलता एवं गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

अतः रू 18.96 लाख के विभिन्न कार्य जो एक तिथि को कोटेशन के आधार पर आबंटित थे, के लिए निविदा प्रक्रिया न अपनाए जाने का प्रकरण तथा लघु निर्माण कार्य में उपर्युक्त अनियमित्ता एवं गुणवत्ता का ध्यान न दिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> थाना विविध आवश्यक कार्य निधि से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रेषित किया जाना।

पुलिस विभाग में थाना स्तर पर आवश्यक कार्य हेतु "थाना विविध आवश्यक कार्य निधि" की स्थापना शासन द्वारा किया गया था। इस कार्य के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः रू 5.02 लाख एवं रू 3.55 लाख का आबंटन किया गया था जो जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग के अंतर्गत आने वाले पाँच थानों को अवमुक्त किया जाना था। चूंकि थानों के विविध कार्यों के लिए इससे पहले निधि का प्रावधान नहीं था। अतः इस धनराशि का उपयोग अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों को पकड़ने हेतु दबिश आदि में पुलिस टीम को भेजे जाने एवं अपराध नियंत्रण हेतु थाने के अति महत्वपूर्ण कार्यों में होने वाले धनराशि के व्यय का भुगतान किया जाना था। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार थाने हेतु उपरोक्त धनराशि 50:25:25 प्रतिशत के अनुपात में पूर्व अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की दशा में शेष चरणों में अवमुक्त किया जाना था एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि ऑनलाइन समर्पित किया जाना था।

उपर्युक्त आबंटित निधि से संबन्धित वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2017-18 के प्रथम किश्त का आबंटन तो मुख्यालय द्वारा किया गया था और उक्त धनराशि क्रमशः रू 1.25 लाख एवं रू 0.84 लाख जैसी भी स्थिति हो के रूप में थानों को अवमुक्त भी किया गया था एवं थानों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार, थाना सोनप्रयाग को छोड़कर सभी थानों द्वारा इसका उपयोग भी किया जाना दर्शाया गया था पर न तो थानों द्वारा और न ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा इस उपयोग से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक कार्यालय को प्रेषित किया गया था। परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत द्वितीय एवं तृतीय किशत (25%+25%) वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यालय द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया था इसलिए सभी थानों को आबंटित धनराशि से वंचित रहना पड़ा। सोनप्रयाग थाने द्वारा अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा इसे स्वीकार करते हुए कहा गया कि इसे प्रेषित किया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कारण कि मुख्यालय से यह स्पष्ट निर्देश था कि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के उपरांत ही द्वितीय एवं तृतीय किश्त प्रेषित किया जाएगा।

अत रू 5.02 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> 25 चार पहिया एवं heavy वाहनों के सापेक्ष मात्र 9 वाहन चालकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष 5 नियमित चालकों की तैनाती से वाहनों का संचालन संतोषजनक न होना।

पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग के अंतर्गत आने वाले परिवहन शाखा का यह दायित्व था कि जनपद में पुलिस के कार्यों का सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का रख-रखाव एवं संचालन नियमित एवं सुव्यवस्थित हो ताकि वाहनों के संचालन के अभाव में कार्य में व्यवधान न हो, यातायात एवं नागरिक सुरक्षा बाधित न हो एवं अति आवश्यक कार्य हेतु वाहनों के कारण कोई व्यवधान अथवा अवरोध न हो। साथ ही वाहनों के संचालन, अनुरक्षण, एवं संचालन संबंधी लॉग-बुक इत्यादि के ऱख-रखाव एवं उसमें यात्रा संबंधी प्रविष्टि में कोई अनियमितता न हो।

परिवहन शाखा से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद के पुलिस विभाग के लिए चार पहियाँ एवं कुछ भारी वाहन मिलाकर कुल 25 वाहन आबंटित थे जिसके संचालित करने के लिए वाहन चालकों के मात्र 9 पद ही स्वीकृत थे। परिवहन शाखा द्वारा चालकों की तैनाती संबंधी अभिलेख की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुल स्वीकृत 9 वाहन चालकों के सापेक्ष केवल नियमित 5 चालकों की ही तैनाती थी तथा उपनल से 6 वाहन चालकों को तैनात कर काम चलाया जा रहा था। इस प्रकार वाहन चालकों की संख्या गाड़ियों की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण न तो चालको के लिए कोई निश्चित वाहन निर्धारित था और इस प्रकार वाहनों की लॉग बुक भी किसी निश्चित वाहन चालक द्वारा नही भरा जा रहा था। साथ ही आवश्यकता से अधिक वाहनों की उपलब्धता के कारण अधिकतर वाहन अनावश्यक प्रतीत हो रहे थे। वाहन संख्य यू.के.07 जी.ए.2216 दिनाँक 8/6/18 के बाद संप्रेक्षा तिथि दिनाँक 30/11/18 तक अप्रयुक्त पड़ा था। लगभग छह महीने बाद तक अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण न केवल शासकीय संपत्ति के निष्प्रोज्य की स्थिति थी वरन उसके तकनीकी रूप से खराब होने के भी संभावना रहती है। इस प्रकार गाड़ियों की तुलना में वाहन चालक की कमी से इतने अधिक गाड़ियों के रख-रखाव का औचित्य स्पष्ट नहीं हो रहा था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि आबंटन की स्थिति में जो चालक आवश्यकतानुसार डयूटी पर जाता है उसी से लॉग बुक भराया जाता है एवं स्वीकृत पद 9 होने से इन्ही चालकों द्वारा ही रख-रखाव कराया जा रहा है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। 25 गाड़ियों के सापेत्र मात्र 5 नियमित वाहन चालक का होना 25 गाड़ियों के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है एवं लंबे समय तक वाहनों का प्रयोग न होना भी इसे सही साबित करता है।

अतः पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवश्यकता से अधिक वाहनों का रख-रखाव किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः3-</u> रू 2.75 लाख का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेकानियम कंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय की लेखापरीक्षा की जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसम्बर से पूर्व विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 2015-16 से 2018-19 तक गुप्त सेवा मद में निम्न व्यय किया गयाः-

वर्ष	**व्यय धनराशि(रू)**
2015-16	40,000/-
2016-17	1,00,000/-
2017-18	60,000/-
2018-19	75,000/-
योग	**2,75,000/-**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र महालेखाकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण- शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
37/2014-15	-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः- शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री बरिंदर जीत सिंह	पुलिस अधीक्षक	विगत लेखा परीक्षा से	08.10.2015
2	श्री प्रहलाद नारायण मीणा	पुलिस अधीक्षक	08.10.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार (**सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र